न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–43/2026

CNR.No.UPAU120003532026

कमला देवी बनाम रेखा आदि।

एन0सी0आर0 सं0–10/2026

धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0

थाना–बेला, जिला औरैया।

दिनांक–10.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी कमला देवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.01.2026 को प्रार्थिनी कमला देवी अपने घर पर मौजूद थी, तभी पड़ोस की रेखा, चंचल उर्फ सौरभ, राजू उर्फ राजेश आपसी विवाद के चलते गाली गलौज करने लगे। प्रार्थिनी की पुत्री निधि ने गालिया देने से मना किया तो चंचल उर्फ सौरभ ने मेरी पुत्री के साथ मारपीट शुरू कर दी और लज्जाभंग करने के आशय से छाती पर बैठकर उसके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। प्रार्थिनी ने अपनी निधि को बचाने का प्रयास किया तो विपक्षी रेखा, चंचल व राजू ने प्रार्थिनी व प्रार्थिनी की पुत्री के साथ लात, घूसों, थप्पड़ों व लाठी डंडा व लोहे की कठफोरिया से मारपीट की। प्रार्थिनी की शिकायत पर थाना बेला में एन0सी0आर0 10/2026 अंकित की गयी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की उपरोक्त एन0सी0आर0 सं0–10/2026 पर थानाध्यक्ष बेला को विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 के साथ स्वयं का शपथपत्र, एन.सी.आर. संख्या–10/2026 की छायाप्रति, चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रति एवं एक किता छायाप्रति आधार कार्ड वहक कमला देवी प्रस्तुत किये गये हैं।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार थाना हाजा पर एन.सी.आर. संख्या–10/2026 अन्तर्गत धारा–115(2), 352 बी0एन0एस0 बनाम देखा देवी आदि के विरूद्ध पंजीकृत है, जिसकी विवेचना नहीं की जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामला आवेदिका/महिला के साथ विपक्षीगण द्वारा मारपीट, गाली गलौज करने से सम्बन्धित है। अतः विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–174(2) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी बेला, जिला औरैया को आदेशित किया जाता है कि वह वर्तमान मामले में दर्ज एन0सी0आर0 सं0–10/2026 अन्तर्गत धारा–115(2), 352 बी0एन0एस0 में नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कुशाग्र मिश्र)

अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

बिधूना, औरैया।

J.O. Code: UP4693